

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021—फाल्गुन 18, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. एफ 2-12-2021-61-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्रम विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
2.33	विवाह सहायता योजना(श्रम कल्याण मंडल)	कल्याण पर्यवेक्षक/ कल्याण निरीक्षक/ जनसंपर्क अधिकारी/ अभिदाय वसूली अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	30 दिवस	सहायक कल्याण आयुक्त	30 कार्यदिवस	कल्याण आयुक्त
2.34	अंतिम संस्कार सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)	कल्याण पर्यवेक्षक/ कल्याण निरीक्षक/ जनसंपर्क अधिकारी/ अभिदाय वसूली अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	15 दिवस	सहायक कल्याण आयुक्त	30 कार्यदिवस	कल्याण आयुक्त
2.35	कल्याणी सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)	कल्याण पर्यवेक्षक/ कल्याण निरीक्षक/ जनसंपर्क अधिकारी/ अभिदाय वसूली अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	30 दिवस	सहायक कल्याण आयुक्त	30 कार्यदिवस	कल्याण आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

271

रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.